

# गवालियर

## एक नजर में



### मेला कला रंगमंच पर हुई समूह नृत्य प्रतियोगिता

गवालियर, यूथ सोसायटी एवम् गवालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन किये जा रहे हैं आज इसी श्रृंखला में समूह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस आयोजन में मुख्य अतिथि डॉ शिखा कदुल उपस्थित थीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों को मंच देने का कार्य गवालियर मेला कर रहा है निर्णायक मंडल नृत्यांगना नेहा शर्मा आशी त्रिपाठी उपस्थित थे इस आयोजन में आयोजन इसमें दिनेश जैन कांटे वाले अवध धाकर अशोक जैन उपस्थित थे मुख्य संयोजिका डॉ शिखा कदुल ने बताया इन आयोजन में विजेता एवम् उप विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा और भाग लेने वाले प्रत्येक बच्चों को प्रमाण पत्र एवम् मंडल भी दिये गये इस आयोजन में 10 समूह सीनियर वर्ग में एवम् जूनियर वर्ग में 14 समूह उपस्थित थे समूह नृत्य प्रतियोगिता में विजेता एवं उप विजेता टीम इस प्रकार है जूनियर वर्ग में प्रथम पुरस्कार शिव अल्टीमेटम डांस ग्रूप द्वितीय पुरस्कार शिखा साइन तृतीय पुरस्कार श्री सिद्धि विनायक विधा पौठ गोहद एवम् सेंट जोसेफ सीनियर वर्ग में प्रथम पुरस्कार सेंट जोसेफ द्वितीय पुरस्कार डीपीएस वर्ड स्कूल तृतीय पुरस्कार शिखा साइन, केएस मेमोरियल स्पेशल, के आर जी कालेज, सातवना पुरस्कार, जूनियर वर्ग में आकर पब्लिक सीनियर वर्ग में संस्कार पब्लिक स्कूल विजेता रहे



### 3 प्रतिशत लंबित डीआर के लिए फरवरी में होगा पेंशनर्स का धरना

**गवालियर 20 जनवरी.** भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ मध्य प्रदेश एवं पेंशनर एसोसिएशन एक मंच एक आवाज मध्य प्रदेश की मासिक बैठक आज 20 जनवरी आर एस तरेटिया राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की अध्यक्षता में कायालय परसमार छात्रावास पुराना लेवर कोर्ट फूलबाग गवालियर पर संपन्न हुई। बैठक में केंद्र के सभान पेंशनर्स के डीआर पर चर्चा करते हुए चिंता व्यक्त की गई क्योंकि राज्य के पेंशनर्स का 3 प्रतिशत डीआर जुलाई 25 से अभी भी लंबित है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी संपन्नों को साथ लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जावे इसके लिए निर्णय लिया गया कि 30 जनवरी को सभी संगठनों के अध्यक्षों एवं महाप्रतिबंधकों की बैठक दोपहर 02 बजे गांधी पार्क फूलबाग गवालियर में की जावेगी। बैठक में प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष नंदकिशोर गोस्वामी ने कहा कि पेंशनर संगठनों को साथ लेकर कार्य करेंगे प्रांताध्यक्ष आर एस तरेटिया ने बताया कि स्मारिका हेतु सभी अपने अपने फोटो संदेश हेतु अपने अपने फोटो तथा रुपए 1000/= जनवरी 30 तक जमा कराएँ, फोटो संदेश हेतु कोई भी पेंशनर राशि व फोटो जमा करा सकता है। बैठक का संचालन श्री आर पी कोरी प्रांतीय महासचिव ने किया। बैठक में सर्वश्री गीता भारद्वाज प्रांताध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन एक मंच एक आवाज मध्य प्रदेश, नन्दकिशोर गोस्वामी जिला अध्यक्ष प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन, डी डी शावधर, गंगादीन शावधर, आर सी एस राजपूत, विशुण सिंह चौहान, श्री भंवर सिंह जादवी, ओ पी अजमेरिया, लक्ष्मण सिंह अल्पुरिया आदि उपस्थित रहे।

### ब्रह्माकुमारीज भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 22 को

गवालियर। प्राज्ञिप्ता ब्रह्माकुमारी ईश्वरिया विश्व विद्यालय के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्माकुमारीज संस्था की मेडिकल विंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एवं सिम्स हॉस्पिटल गवालियर के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वीके प्रहलाद भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर दिनांक 22 जनवरी, गुरुवार को माधौगंज स्थित ब्रह्माकुमारीज प्रभु उग्रहार भवन, में प्रारंभ : 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगाया जायेगा। जिसमें सिम्स हॉस्पिटल गवालियर के वरिष्ठ एवं अनुभवी विशेषज्ञ हृदय एवं डायबीटिज, हड्डी एवं जोड़ रोग, पथरी एवं पेट रोग, महिला रोग व नेत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा निःशुल्क परीक्षण कर उचित परामर्श दिया जायेगा व सम्बंधित जांचे वीपी, शुगर व इसीकी इत्यादि निःशुल्क की जायेगी।



## हेल्थ चेकअप कैंप का किया आयोजन

**नवभारत न्यूज**  
**गवालियर 20 जनवरी.** फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गवालियर शाखा द्वारा आज इंडियन आयल बॉटलिंग प्लांट मलानपुर (मकीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड) के सहयोग से आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट मलानपुर के चीफ प्लांट मैनेजर कर्नल सुधीर नंदा ने शिविर के प्रथम दिवस का शुभारम्भ फीता काट कर किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि रूप में प्लांट के असिस्टेंट मैनेजर एलपीजी सेफ्टी अजय पाल यादव, मकीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मलानपुर से प्लांट मैनेजर अशोक कुमार उपस्थित थे साथ ही सेप्टी ऑफिसर नीलेश कुमार राजपूत उपस्थित थे। कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की महाप्रबंधक श्रीमती नीलम दीक्षित द्वारा की। उन्होंने सभी को संस्था की गतिविधियों पर जानकारी दी। शिविर का संचालन करते हुए संस्था के कार्यक्रम अधिकारी अश्वेद सिंह कुशवाह द्वारा

# हजीरा की इंटक मंडी में भीषण आगजनी

## नवभारत न्यूज

**गवालियर 20 जनवरी.** हजीरा चौकी से चंद कदम स्थित इंटक मंडी में बीती रात असाधारण तत्वों के हाँसले बुलंद नजर आए।

**देर रात पेट्रोल डालकर फूँके जूते-चपल के ठेले, पुलिस को भनक तक नहीं, लाखों का नुकसान**



### ऊर्जा मंत्री ने दिए तत्काल मदद के निर्देश

घटना की जानकारी मिलते ही जनभागीदारी अध्यक्ष रामअवतार सिंह बैस सुबह तड़के ही अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और तत्काल क्षेत्रीय विधायक एवं ऊर्जामंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को घटना से अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ऊर्जामंत्री ने तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मौके पर जाकर नुकसान का आकलन करें और पीड़ित परिवार को शासन की ओर से हेर संभव आर्थिक मदद उपलब्ध कराएं।

## शराब पार्टी में विवाद, कर दिए हवाई फायर

### नवभारत न्यूज

**गवालियर 20 जनवरी.** रोज एक साथ बैठकर शराब पार्टी करने वाले दोस्तों के बीच और शराब मंगाने को लेकर विवाद हो गया और मामला गोली-बारी तक पहुंच गया। साथ बैठकर शराब पीने वालों ने देशी कट्टा निकाला और हवाई फायरिंग कर दी। घटना मुरार थाना क्षेत्र के बिजलीघर के सामने मधुवन विहार बड़ागांव में सोमवार रात 10 से 11 बजे के बीच की है। पुलिस ने मामला कायम कर आरोपियों के घर दबिबा दी, लेकिन सभी गायब चले। मैदान सिंह जाटव पुत्र रामप्रकाश जाटव निवासी अंबेडकर कॉलोनी, खुरैरी, बड़ागांव की दोस्ती सैफ अली खान, अंकित

रजक, अंशु गोयल तथा शेरू उर्फ राहुल से है। पुलिस के अनुसार ये सभी आवारा किस्म के हैं और रोज शराब पार्टी के लिए इकट्ठे होते हैं। सोमवार रात बिजली घर के पास मधुवन विहार के सामने खाली प्लॉट में बैठकर शराब पी रहे थे। पार्टी के दौरान शराब कम पड़ गई तो सैफ अली खान, शेरू, अंकित तथा अंशु ने मैदान सिंह के और शराब मंगाने के लिए कहा। मैदान सिंह ने कह दिया कि वह अपने हिस्से की शराब मंगा चुका और अब नहीं मंगाएगा। इसी बात पर विवाद हो गया और बात मामपीट तक पहुंच गई। शराब न मंगाने को लेकर चारों ने मिलकर मैदान जाटव की पिटाई लगाई और धमकी दी कि अगर बात बढ़ाई तो जान से मार देंगे।

# आईटीएम के छात्र राष्ट्रीय मंचों पर अपनी योग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं: डॉ. दौलत सिंह चौहान

## नवभारत न्यूज

**गवालियर 20 जनवरी.** आईटीएम गवालियर के बोटेक (आईटी) चतुर्थ वर्ष के छात्र संभव कुमार झा जो राष्ट्रीय सेवा योजना के सक्रिय स्वयंसेवक हैं, ने राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कार्यक्रम 'विकसित भारत यूथ डायलॉग-2026' में सफल सहभागिता कर संस्थान का नाम राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है।

यह आयोजन गत दिनों भारत भंडपम, प्रगत मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जहां कि भारत भंडपम वही ऐतिहासिक स्थल है जहां जो-20 शिखर सम्मेलन जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, जिससे इस आयोजन की गरिमा और प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती है। कार्यक्रम के दौरान देशभर से चयनित युवाओं ने विकसित भारत के विभिन्न आयामों पर अपने



विचार प्रस्तुत किए। इसी क्रम में संभव कुमार झा ने 'राइट टू यूथ (आरटीयू)' विषय पर अपना प्रभावशाली प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने युवाओं की भागीदारी, अधिकार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में उनकी निर्णायक भूमिका पर सारगर्भित विचार रखे। उनकी प्रस्तुति को उपस्थित विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों द्वारा सराहा गया। कार्यक्रम के समापन

## क्षेत्रीय कार्यालय सागर को मिला प्रथम क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार

### नवभारत न्यूज

**गवालियर 20 जनवरी.** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय सागर कार्यालय को वर्ष 2024-25 के लिए हिन्दी क्षेत्र में उत्कृष्ट राजभाषा कार्य के लिए केन्द्रीय कार्यालयों की श्रेणी में प्रथम क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

यह पुरस्कार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार विवरण समारोह का आयोजन 20 जनवरी को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में किया गया। इस समारोह में क्षेत्रीय कार्यालय सागर की ओर से यह सम्मान शील्ड पुरस्कार सत्य वर्धन



के ठेले पर रखा लाखों रुपये का माल जलकर पूरी तरह राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अपनी मेहनत को कमाई खाक होते देख रिंकू चौहान की आंखों से आंसू निकल पड़े पीड़ित प्रशासन से न्याय की मांग की है। रिंकू का कहना है कि वह किसी की सोचो-समझो साजिश है।



गौतम, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गवालियर एवं सागर द्वारा केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार बंदी संजय कुमार के कर कमलों से ग्रहण किया गया। यह उपलब्धि क्षेत्रीय कार्यालय सागर में राजभाषा हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन, सतत प्रयासों एवं कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता का प्रतिफल है। यह

## अवैध हथियार खपाने आया बदमाश दबोचा

### नवभारत न्यूज

**गवालियर 20 जनवरी.** भिंड जिले के अमायन से अवैध हथियार लेकर शहर में खपाने आए बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी के पास से 315 व 32 बोर का देशी कट्टा तथा एक जिंदा राउंड तलाशी के बाद पुलिस ने बरामद किया है। पकड़ में आए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है कि इरादे से शहर में घुसा और किसे बेचने आया था। ठाटीपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। एएसएसपी धर्मवीर सिंह को सूचना मिली थी कि शहर में अवैध हथियार खपाने के लिए दूसरे जिले से बदमाश आया है और इस समय ठाटीपुर

थाना क्षेत्र के कन्याविद्यालय के पास मंडरा रहा है। पिन प्वाइंट सूचना मिलते ही एएसएसपी के बदमाश को पकड़ने का टास्क ठाटीपुर थाने के टीआई विपेन्द्र सिंह चौहान तथा क्राइम ब्रांच टीआई अमित शर्मा को दिया। टीआई विपेन्द्र सिंह चौहान तथा अमित शर्मा ने कन्या विद्यालय ठाटीपुर को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने जब पकड़ में आए बदमाश से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शिवम सिंह चौहान पुत्र अरविंद सिंह चौहान निवासी ग्राम अमायन जिला भिंड बताया। तलाशी ली तो कमर में लगा 315 बोर का कट्टा तथा 32 बोर का कट्टा बरामद हुआ। आरोपी के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

## नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

पतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम गवालियर क्षेत्र के अन्तर्गत नैरी समष्टि क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 स्थान पीताम्बर कॉलोनी, गदाईपुर में स्थित है जो कि लालता शर्मा, रमेश शर्मा के नाम से नगर निगम में आईटीएम क्रमांक 1000169338 पर दर्ज है। नही है जिसका क्षेत्रफल 9000 वर्गफुट है, उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 3245 दिनांक 28/01/2006 से प्राप्त किया गया है, उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्ति पर एवं उक्त की वसूली हेतु नामांकन आदेश जनमि लक्ष्मण पर दिनांक 19/01/2026 को किया गया है, जिसका कार्य क्रमांक 75/2011/54821/54750 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम गवालियर सिटी सेंट्रल स्थित सम्पत्तिक विभाग कक्ष क. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित सूचना आपत्ति में सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें अन्य तथ्य अपेक्षित करवाए जा सकते हैं। उक्त कार्यवाही का न्यायिक निर्णय लिया जायेगा।

सहभागिता पूरे आईटीएम परिवार के लिए एक विषय है। वर्ष कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना आईटीएम गवालियर नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि छात्र संभव कुमार झा एक अनुशासित, कर्मठ एवं सर्मापित एनएसएस स्वयंसेवक हैं। उनकी यह राष्ट्रीय उपलब्धि अन्य स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणास्रोत है और यह सिद्ध करती है कि निरंतर परिश्रम, सही मार्गदर्शन और सेवा भावना से किसी भी राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा जा सकता है। इस उपलब्धि पर डीन अकादमिक डॉ. एस. एस. चौहान, डीन एडमिनिस्ट्रेशन डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव, डीन स्ट्रुटेड वेलफेयर नितिन दीक्षित सहित डीन, विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ने छात्र संभव कुमार झा को शुभकामनाएं दीं।

**नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी**  
पतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम गवालियर क्षेत्र के अन्तर्गत नैरी समष्टि क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 स्थान पीताम्बर कॉलोनी, गदाईपुर में स्थित है जो कि लालता शर्मा, रमेश शर्मा के नाम से नगर निगम में आईटीएम क्रमांक 1000169338 पर दर्ज है। नही है जिसका क्षेत्रफल 9000 वर्गफुट है, उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 3245 दिनांक 28/01/2006 से प्राप्त किया गया है, उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्ति पर एवं उक्त की वसूली हेतु नामांकन आदेश जनमि लक्ष्मण पर दिनांक 19/01/2026 को किया गया है, जिसका कार्य क्रमांक 75/2011/54821/54750 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम गवालियर सिटी सेंट्रल स्थित सम्पत्तिक विभाग कक्ष क. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित सूचना आपत्ति में सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें अन्य तथ्य अपेक्षित करवाए जा सकते हैं। उक्त कार्यवाही का न्यायिक निर्णय लिया जायेगा।

**CHANGE OF NAME**  
I, Sanjay Pal S/o Natharam Pal R/o Village - Patha Panihar, Post-Simriya Tal, Dabra, District GWALIOR (M.P.) - 475110, have changed the name of my minor Daughter Nandini Pal aged 12 years and she shall here after be known as Vanshika Pal. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.  
**Vide affidavit No. DC 443198, Date 20/01/2026**

**CHANGE OF NAME**  
I, HariPal Singh Kushwah S/o Foja Singh Kushwah R/o Krimank 32 ward no. 2, kushwah mohalla gram chimak, chimak District GWALIOR (M.P.) - 475110, have changed the name of my minor Daughter basnabe aged 11 years and she shall here after be known as Veshnavi kushwah. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.  
**Vide affidavit No. DC 443197, Date 20/01/2026**

### सड़क पर गाय बांधकर गंदगी फैलाने पर जस की आस

गवालियर 20 जनवरी निगम गायुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुमनों की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। जिसके तहत आज स्वास्थ्य अधिकारी श्री किशोर चौहान के निदेशन में वाई 46 नया बाजार में किडस कॉर्नर स्कूल द्वारा सड़क पर गंदगी फैलाने पर 3000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही वाई 54 एवं 50 में गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों एवं ठेले वालों से 1500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लखर जिला गवालियर

प्रकरण क्रमांक 144/24-25/अपील  
गवालियर दिनांक 07.01.2026  
माबर सिंह पुत्र श्री कोंडराम निवासी चकबड की सराय थाना आतरी तहसील वीनोर जिला गवालियर हाल निवास करौली माता मंदिर बगैरवाला जिला गवालियर  
.....अपीलत  
बनाम  
1. सरनाम उर्फ सरमन सिंह पुत्र विजय सिंह  
2. सोबरन सिंह पुत्र विजय सिंह फौत वारिसन राजेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्रगाम स्व. श्री विजय सिंह  
3. ममता, कमलेश पुत्रीगाम सोबरन सिंह  
4. गोविंद सिंह पुत्र विजय सिंह फौत वारिसन श्रीमती सुकेश पत्नी स्व. गोविंद सिंह एवं रामलता पुत्र स्व. श्री गोविंद सिंह निवासीगाम गुवा शंरो जाली माता के पास लखर गवालियर  
5. शालीवरन नरवारिया पुत्र श्री जीवाराम नरवारिया स्वार्दर नंबर 12 पुलिस कॉलोनी कम्प लखर गवालियर  
**रसोईदेगण**  
//विज्ञप्ति//  
जयें सूचना समस्त रसोईदों को सूचित किया जाता है कि अपीलतों द्वारा तहसीलदार वृत्त लखर के प्रकरण क्रमांक 209/2024-25/3-6 में आपित आदेश दिनांक 02.01.2025 के विरुद्ध अपीलतों द्वारा म.पू. भू.-राजस्व सहिता 1959 की धारा 44 के तहत अपील प्रस्तुत की गई है। अतः आप रसोईदेगण व्यर्थ अथवा अपने नियुक्त अधिवक्ता सहित प्रकरण में निगत दिनांक 22.01.2026 को सभा 02-30 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। यदि निगत दिनांक को शासकीय अवकाश होता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्यवाही दिवस में की जावेगी। निगत दिनांक को अनुसूचित रहने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय लिया जायेगा। यह विज्ञप्ति न्यायालय की मुद्रा सहित भरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/01/26 को जारी की गई है।  
**नरेंद्र बाबू यादव अनुविभागीय अधिकारी लखर, गवालियर (म.प्र.)**

### In The Court Of XIX Civil Judge Junior Division, District Court, Gwalior

**Presiding Officer: सुशी अदिति केधवास**  
(अदालत 5 फिन 20 प्रकार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)  
(RCS A/0001156/2025)  
**भूपेन्द्र भटतीर्या..... वादी**  
कल्पू कुशवाह..... प्रतिवादी  
Process Id-/2026 पेशी दिनांक: 23/01/2026  
प्रतिवादी- (1) काशीवी कश्यप पिता भीरव कश्यप पता- ग्राम वीरपुर लखर गवालियर (2) जितेंद्र शर्मा पिता योगेश्वर शर्मा पता- मालवी का मोहल्ला गवालियर (3) राकित खान पिता आशुप खान पता मसिन्द के पास मुडा लखर गवालियर (4) भोलाल पिता रामशंकर पता कम्प लखर गवालियर (5) पुष्प पति जयनकुमार पता- ग्राम वीरपुर, भैरकपुर जिला गवालियर (6) मीरा पति गोपीसिंह पता ग्राम वीरपुर लखर गवालियर (7) आनंदप्रकाश कुशवाह पिता लक्ष्मण सिंह कुशवाह पता- गंजी वाला मोहल्ला माधौगंज, लखर गवालियर (8) सोनिया कश्यप पति भीरव कश्यप पता- ग्राम वीरपुर लखर गवालियर (9) संगीता कुशवाह पति भगीरथ कुशवाह पता कम्प, लखर गवालियर (10) बरलाल राठौर पिता कुंवरपाल राठौर पता- 13 बटलियन सिक्केट कम्प लखर गवालियर (11) आतीश कुशवाह पिता भगीरथ कुशवाह पता- कम्प, लखर गवालियर (12) लक्ष्मी पति गोपीसिंह पता- ग्राम वीरपुर लखर गवालियर (13) कृष्ण राठौर पति श्रीनिवास राठौर पता- 13 बटलियन सिक्केट कम्प लखर गवालियर (14) कलेक्टर, गवालियर पता इग्रा कलेक्टर जिला गवालियर, कर्नाल, न्यूकलेन्डेट डबल, सिटी सेंटर गवालियर (15) विनायक कश्यप पिता भीरव कश्यप पता- ग्राम वीरपुर लखर गवालियर (16) भूपेन्द्र पिता शंकरसिंह पता भैरकपुरा पानी की टंकी के पास, वीरपुर, लखर गवालियर (17) आनंद कुशवाह पिता भगीरथ कुशवाह पता कम्प लखर गवालियर (18) अविच खान पिता अजीब खान पता कम्प लखर गवालियर (19) ममता पति प्रतापकुमार पता- ग्राम वीरपुर, भैरकपुर जिला गवालियर (20) महाशय सिंह पिता शंकरसिंह पता भैरकपुरा पानी की टंकी के पास, वीरपुर लखर गवालियर  
यह कि प्राथी भूपेन्द्र भटतीर्या ने आपके विरुद्ध के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें और उस दिन प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और उन दिनों के लिये समान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिवाक) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्ष्य कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सम दस्तावेजों को आपके कक्षों या शक्ति में रखें। यदि करें जिन पर आपका प्रतिष्ठा या मूखरों का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे सभी दस्तावेजों को प्र